

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (503-VI)एनआरएचएम/एचआरडी/2016/1338

दिनांक : 30-12-2016

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के प्रबन्धकीय संवर्ग के राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर के संविदा पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञापित क्रमांक 407 दिनांक 13.04.2016 के क्रम में जिला स्तर के संविदा फील्ड मॉनीटर-रूटीन इम्यूनाइजेशन के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख प्रतिमाह समेकित मानदेय दर पर संबंधित जिलो में नियुक्त किया जाकर निम्नानुसार एतद् द्वारा संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

क्र.सं	नाम	पिता/पति का नाम	अधिकतम मासिक मानदेय	पदस्थापन स्थान
1	श्री सागरमल	श्री ओंकारमल जाट	रु 14300/-	जिला टोंक
2	श्री चैनरूप सोनी	श्री सांवरमल सोनी	रु 14300/-	जिला नागौर
3	श्री दिनेश कुमार पहाडिया	श्री नाथलाल	रु 14300/-	जिला बाडमेर
4	श्री धर्मेन्द्र सांखला	श्री श्रीकिशन सांखला	रु 14300/-	जिला सवाईमाधोपुर
5	श्री बालचंद्र पाण्डे	श्री भवानी शंकर पाण्डे	रु 14300/-	जिला करौली
6	श्री सुरेंद्र सोनी	श्री मोती लाल सोनी	रु 14300/-	जिला धौलपुर
7	श्री जितेंद्र कुमार	श्री मांगी लाल	रु 14300/-	जिला झालावाड़
8	श्री गर्जेंद्र तोलबिया	श्री प्रेमराज टेलर	रु 14300/-	जिला जोधपुर
9	श्री रामलाल मीणा	श्री अणदीलाल मीणा	रु 14300/-	जिला उदयपुर
10	सुश्री किरण जोशी	श्री चिरंजीवलाल जोशी	रु 14300/-	जिला बांसवाड़ा

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी दिनांक से दिनांक 06.01.2017 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 10.01.2017 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी. co_hrd.nrhм@yahoo.com पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाइन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे। आदेश के साथ निर्धारित अनुबंध का प्रारूप, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के लिये अनुबंध अवधि कार्यग्रहण तिथि से दिनांक 31.03.2017 तक के लिये होगी जो कि भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी। अनुबंधित संविदा कार्मिकों को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

नव अनुबंधित कार्मिकों को मानदेय 550/- प्रतिदिन की दर से अधिकतम 26 दिवस के लिए 14300/- प्रतिमाह देय होगा।

उपरोक्त समस्त नव अनुबंधित कार्मिको को निर्धारित मासिक मानदेय के अतिरिक्त फील्ड विजिट करने पर मोबिलिटी सपोर्ट 150/- रु. प्रतिदिन की दर से एवं वाहन मरम्मत के लिए 1000/-रु. प्रति माह की दर से देय होगा। परन्तु किसी भी माह में कार्मिक को देय किये जाने वाला कुल भुगतान किसी भी स्थिति में 19200/-रु. से अधिक नहीं होगा।

प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के पास फील्ड विजिट करने हेतु स्वयं का दुपहिया वाहन मय वैध लाईसैंस आवश्यक रूप से होना चाहिये। उक्त पद पर अनुबंधित कार्मिकों के लिये माह में कार्यदिवसों की कुल संख्या अधिकतम 26 होगी।

इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको के मूल दस्तावेजो की जाँच कर नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।


(अंजू राजपाल)
परियोजना निदेशक
एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (503-VI) एनआरएचएम/एचआरडी/2016/1338 दिनांक : 30-12-2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि0 स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, एनएचएम, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक - प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
7. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
8. निदेशक-आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
9. निदेशक-राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
10. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
11. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
12. सहायक निदेशक (आयुष), एनएचएम, जयपुर।
13. परियोजना निदेशक, एमएच/सीएच/इम्यूनाईजेशन/एफडब्ल्यू, एनएचएम, जयपुर।
14. राज्य नोडल अधिकारी क्वालिटी एश्योरेंस, एनएचएम, जयपुर।
15. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
16. समस्त नोडल अधिकारी/समस्त सलाहकार, एनएचएम, जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
18. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त संबंधित जिले को भेजकर लेख है कि संबंधित कार्मिक को कार्यग्रहण करवाकर पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाये।
19. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, समस्त संबंधित जिले।
20. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त संबंधित जिले।
21. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनआरएचएम, समस्त संबंधित जिले।
22. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितो को ई-मेल करने हेतु।
23. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
एनएचएम